

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2660]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2660]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

का.आ. 3506(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 769 (अ) तारीख 18 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 6/400 कि.मी. से 21/900 कि.मी. (अहमदाबाद—वडोदरा सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि) अनुसूची, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 01-06-2013 को “संदेश” और “इन्डियन एक्सप्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 6/400 से कि.मी. 21/900 (अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	ब्लोक / सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति के नाम								
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन के बाद												
1	2	3	4	5		6	7	8	9								
1	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर (पूर्व)	इसनपुर	322	322 / 3	निजी	कृषि	35.00	ईलेश रमणीकलाल								
					322 / 11	निजी	कृषि	960.00	अशोककुमार जयंतीलाल								
			वटवा	363	362 to 366+487 / 1	निजी	कृषि	1038.00	कीरीटभाई राजेन्द्रभाई जयंतिलाल प्राणलाल समीरभाई जयंतिलाल ठाकोर किरणभाई जयंतिलाल ठाकोर रस्मीताबेन राघवभाई करशनभाई नशीतकी बेटी एवं योगेशभाई शीवलाल पटेल की पत्नी विजय गोरछनदास जसेजा कौशल्यादेवी जगदीशप्रसाद की विधवा विमल जगदीशप्रसाद अनिल जगदीशप्रसाद निलेष जगदीशप्रसाद सुनिता जगदीशप्रसाद								
									362 to 366+487 / 3	निजी	कृषि		मोतीभाई करशनभाई देवेन्द्रभाई करशनभाई श्रीमती शान्ताबेन मोतीभाई देसाई लाडकीबेन देवेन्द्रभाई देसाई हीमांग देवेन्द्रभाई देसाई तरंग मोतीभाई देसाई कुंजल मोतीभाई देसाई श्रेष्ठा मोतीभाई देसाई निलेषा मोतीभाई देसाई नैत्री देवेन्द्रभाई देसाई याचना देवेन्द्रभाई देसाई कुशन देवेन्द्रभाई देसाई				
													362 to 366+487 / 4	निजी	कृषि		कमलेशभाई रघुवीरप्रसाद सुनीलभाई रघुवीरप्रसाद गीरीशभाई रघुवीरप्रसाद आर क्रिष्णामूर्ति रामास्वामी गाउन्डर
																	495
					496	ब्लोक-3, 1550 + 521+ 531+ 494+ 507+ 509 प्लोट नं 181 खे.सी	निजी	कृषि	1058.00	कोठारी मेग्नेशीयम इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लीमिटेड के डायरेक्टर श्रीरएाजीतसिंह कोठारी							
										ब्लोक-3, 1550 + 521+					धनसुखभाई सोमाभाई रमाबेन विनोदकुमार		

					531+ 494+ 507+ 509 प्लोट नं. 3/B				विनोदकुमार रोशनलाल सुशीलकुमार रोशनलाल उषाबेन सुशीलकुमार
					ब्लॉक-3, 1550 + 521+ 531+ 494+ 507+ 509 प्लोट नं. 3/C				रमाबेन विनोदकुमार विनोदकुमार रोशनलाल उषाबेन सुशीलकुमार सुशीलकुमार रोशनलाल

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/डीबीएफओ/रा.रा.-8/अहमदाबाद/2013]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3506(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 769(E), dated the 18th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8 on the stretch of land from Km 6/400 to Km 21/900 (Ahmedabad - Vadodara Section) in District Ahmedabad in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” and “The Indian Express”, both dated the 1st June, 2013, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 6/400 to KM 21/900 (Ahmedabad – Vadodara Section) on the National Highway No.8 in the State of Gujarat.

Sl. N o.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Block / Survey Number		Type of land	Nature of land	Area(in square metres)	Name of the land owner/ interested person
				As notified in 3A	As per JMS				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Ahmedabad	Ahmedabad City (East)	Isanpur	322	322/3	Private	Agriculture	35.00	Ilesh Ramniklal
					322/11	Private	Agriculture	960.00	Ashokkumar Jayantilal
			Vatwa	363	362 to 366+487/1	Private	Agriculture	1038.00	Kiritbhai Rajendrabhai Jayantilal Pranlal Samirbhai Jayantilal Thakor Kiranbhai Jayantilal Thakor Rasmitaben daughter of Raghavbhai Karshanbhai Nashit and wife of Yogeshbhai Shivilal Patel Vijay Goradhandas Jaseja Kaushlyadevi widow of Jagdisprasad Vimal Jagdisprasad Anil Jagdisprasad Nilesh Jagdisprasad Sunita Jagdisprasad

					362 to 366+487/ 3	Private	Agriculture		Motibhai Karshanbhai Devendrabhai Karshanbhai Mrs. Santaben Motibhai Desai Ladkiben Devendrabhai Desai Himang Devendrabhai Desai Tarang Motibhai Desai Kunjal Motibhai Desai Shrestha Motibhai Desai Nileshta Motibhai Desai Naitri Devendrabhai Desai Yachana Devendrabhai Desai Kushan Devendrabhai Desai
					362 to 366+487/ 4	Private	Agriculture		Kamleshbhai Raghuvirprasad Sunilbhai Raghuvirprasad Girishbhai Raghuvirprasad R. Krishnamurti Ramaswami Gaundar
				495	Blok No. 3 1550+ 521+ 531+ 494+ 507+ 509 Plot No. 181 Paiki N.A	Private	Agriculture	577.00	Bhagvanjibhai Megjibhai Jasvantbhai Megjibhai On behalf of Megjibhai Punjabhai Memorial Trust. Pramodbhai Chhaganbhai patel
				496	Blok No. 3 1550+ 521+ 531+ 494+ 507+ 509 Plot No. 181 Paiki N.A	Private	Agriculture	1058.00	Shree RanjitSinh Kothari Director Of Kothari Magnesium Industries private Limited
					Blok No. 3 1550+ 521+ 531+ 494+ 507+ 509 Plot No. 3/B				Dhansukhbhai Somabhai Ramaben Vinodkumar Vinodkumar Roshanlal Sushilkumar Roshanlal Ushaben Sushilkumar
					Blok No. 3 1550+ 521+ 531+ 494+ 507+ 509 Plot No. 3/C				Ramaben Vinodkumar Vinodkumar Roshanlal Ushaben Sushilkumar Sushilkumar Roshanlal

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/NH-8/Ahmedabad/2013]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.